न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—96/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामदास पुत्र आसाराम जाति स्वामी निवासी घाटड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

....................अपीलांट

बनाम

1. जयरामदास चेला महन्त आशाराम स्वामी निवासी घाटड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... असल रेस्पो0

2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
3. तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर ।

.... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :—
1. श्री धर्मेन्द्रसिंह जैसावत, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विजयसिंह राठौड़ अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—13.04.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 107/0.16, 261/0.88, 1023/0.43, 1042/0.39, 1607/0.56 वाके घाटड़ा तहसील राजगढ़ में स्थित है । उक्त भूमि हाल ख0 नं0 107 का ख0 नं0 4, ख0 नं0 261 का 601 व 602, ख0 नं0 1023 का ख0 नं0 501, ख0 नं0 1042 का 502 व ख0 नं0 1607 का ख0 नं0 444, 445, 948 सम्वत् 2020 में 1 सम्वत् 2020 से पूर्व ख0सं0 4 का ख0सं0 870, ख0सं0 601 का नम्बर 833, ख0सं0 62 का ख.सं. 836, 866, ख0 सं0 501 का ख0सं0 804, 814, ख0सं0 502 का ख0 सं0 804, ख0सं0 444 का ख0सं0 389, 391 थे । उक्त भूमि ख0सं0 870, 833, 836, 866, 804, 814, 389, 391 सम्वत् 2020 से पूर्व बिश्वेदारी की भूमि थी और वादी का गुरू आशाराम उक्त भूमि के बिश्वेदार और बहैसियत बिश्वेदारी उक्त भूमि पर काबिज थे और काबिज रहकर काश्त करते थे । वादी के गुरू की मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । सम्वत् 2020 में बन्दोबस्त कर्मचारियों ने वादी की उक्त आराजी को गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया जो काबिल दुरूस्ती है ।

4/1374

वादी ने उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवाने बाबत प्रतिवादी को नोटिस दिया गया जिसकी मियाद समाप्त हो चुकी है लेकिन मुदायला ने कोई दुरूस्ती नहीं की न ही कोई जवाब दिया । अन्त में वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर हाल आराजी ख0 सं0 107, 261, 1023, 1042, 1607 वाके घाटड़ा तहसील राजगढ़ को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड से सिवायचक का इन्द्राज हटाया जाकर आराजी को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 08.02.2002 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि आराजी हाल ख0 नं0 107/0.16, 261/0.88, 1023/0.43, 1042/0.39, 1607/0.56 वाके घाटड़ा तहसील राजगढ़ में स्थित है । उक्त भूमि हाल ख0 नं0 107 का ख0 नं0 4, ख0 नं0 261 का 601 व 602, ख0 नं0 1023 का ख0 नं0 501, ख0 नं0 1042 का 502 व ख0 नं0 1607 का ख0 नं0 444, 445, 948 सम्वत् 2020 में 1 सम्वत् 2020 से पूर्व ख0सं0 4 का ख0सं0 870, ख0सं0 601 का नम्बर 833, ख0सं0 62 का ख.सं. 836, 866, ख0 सं0 501 का ख0सं0 804, 814, ख0सं0 502 का ख0 सं0 804, ख0सं0 444 का ख0सं0 389, 391 थे । उक्त भूमि ख0सं0 870, 833, 836, 866, 804, 814, 389, 391 सम्वत् 2020 से पूर्व बिश्वेदारी की भूमि थी और वादी का गुरू आशाराम उक्त भूमि के बिश्वेदार और बहैसियत बिश्वेदारी उक्त भूमि पर काबिज थे और काबिज रहकर काश्त करते थे । वादी के गुरू की मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । सम्वत् 2020 में बन्दोबस्त कर्मचारियों ने वादी की उक्त आराजी को गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया ।

अपीलांट ने रेस्पो0/वादी के दावे के तथ्यों को दोहराया और कहा कि वादी ने उक्त आराजी को आशाराम की सम्पति बताया और यह भी कहा कि वादी ने गलत तथ्यों तथा गलत रेकार्ड के आधार पर अपने आपको आशाराम का पुत्र बताकर तथा सिविल कोर्ट से साजबाज होकर एकपक्षीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तहत न्यायालय में गलत रूप से दावा डिक्री करा लिया ।

बहस में अपीलांट अभिभाषक ने आगे कहा कि वादी/रेस्पो0 जयरामदास, आशाराम का पुत्र नहीं था बल्कि मु0 कमला के साथ गैलड़ के रूप में आया था । अपीलांट अभिभाषक ने आरोप लगाते हुए और दस्तावेजों को इंगित करते हुए कहा कि जयरामदास ने गलत तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर अपने आपको आशाराम का पुत्र बताया जबकि यह वादी आशाराम का पुत्र नहीं है । अपीलांट ही आशाराम के एकमात्र पुत्र है । दस्तावेज पेश करते हुए अपीलांट ने वादी को आशाराम का पुत्र नहीं मानते हुए दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा ।

बक्खसीस नामा दिनांक 26.08.1971 का हवाला देते हुए कहा कि महन्त आशारामदास ने कई खसरा नम्बर की बक्खशीशनामा मु0 कमला बेवा घासीदास कौम स्वामी दादूपंथी व जैरामदास पुत्र घासीरामदास कौम स्वामी दादूपंथी को बक्खशीश करके उक्त भूमि सम्पति मय कब्जा हस्तान्तरित कर दी थी ।

अपीलांट अभिभाषक ने दस्तावेज पेश करके कहा है कि रामदास उर्फ बाबूलाल आशाराम स्वामी के ही पुत्र है तथा आशाराम स्वामी की समस्त सम्पति का रामदास को ही उत्तराधिकारी बताया । न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 1.11.2012 की नकल पेश करके कहा कि जयरामदास अपने आपको स्व0 महन्त आशाराम दास का चेला भी बताते हैं । उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दि0 22.6.2010 बउनवानी केस महन्त जयरामदास चेला महन्त आशारामदास बनाम राजस्थान सरकार में भी अपने आपको चेला बता रहे हैं न कि पुत्र बता रहे हैं ।

बयनामा नकल ख0 नं0 374/483 दिनांक 29.09.2001 पेश करके बताना चाहा कि इससे जयरामदास अपने आपको आशारामदास दादूपंथी का पुत्र बता रहे हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2067, कार्यालय राज0 आदर्श उ0प्रा0वि0 खोह दरीबा पंचायत समिति राजगढ़ के अध्ययन प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.2014 में जयरामदास को आशाराम का पुत्र बताते हुए तथा अन्य शेक्षणिक दस्तावेज व जाति प्रमाण पत्र पेश करके अपीलांट अभिभाषक यह कहना चाहते हैं कि जयरामदास अपने आपको कभी आशारामदास का चेला, कभी पुत्र बता रहे हैं तथा इस तरह के रेकार्ड से क्या सिद्ध करना चाहते हैं ?

बहस में आगे कहा कि अपीलांट के पिता ने मु0 कमला और जयरामदास को 12 बीघा जमीन की अलग से बक्खशीश कर दी तो अब अपीलांट आशाराम की जमीन से जयरामदास का कोई संबंध व सरोकार नहीं था । वादी/रेस्पो0 अपने आपको आशाराम दास का चेला मानते हैं । यहां प्रकरण मूर्ति मन्दिर का नहीं है । यह मन्दिर की जमीन नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय से 90 बीघा जमीन की डिक्री मांगी थी परन्तु 30 बीघा जमीन की डिक्री प्रदान की है । प्रश्न यह जाहिर किया कि क्या अदालत द्वारा गैर मुमकिन पहाड़ जो कि आर.टी.एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित जमीन है, पर डिक्री प्रदान की जा सकती है ? कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 551 पेश करते हुए कहा कि धारा 16 में प्रतिबंधित जमीनों पर न्यायालय डिक्री प्रदान नहीं कर सकते हैं । यह भी कहा कि घोषणा का दावा करने से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । ये अधिकार कानून से प्राप्त होते हैं । इस संबंध में कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1986 पेज 536, आर.आर.डी. 1984 पेज 492 का हवाला दिया । आर.आर.डी. 1981 पेज 432 का हवाला देते हुए कहा कि वादी को यह बताना पड़ेगा कि किस कानून के तहत खातेदारी अधिकार मिल सकते है। उसमें मौके पर कब्जा काश्त होना आवश्यक है । आर.आर.डी. 2000 पेज 95 का हवाला देते हुए कहा कि खातेदारी अधिकार आर.टी.एक्ट की धारा 13, 15 व 19 के तहत ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य आधार पर नहीं ।

निर्णय का अंतिम पैरा पढ़ते हुए अपीलांट अभिभाषक ने कहा कि चालाकी से कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो उससे कोई व्यक्ति सम्पति का स्वामी नहीं बन जाता है । इस संबंध में कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2010 एस.सी. पेज 416 का हवाला दिया । सम्पति प्राप्त करने के लिए टाईटल देखना होगा तथा उसका हक बनता है या नहीं, यह भी देखना होगा । अपीलांट का पुत्र होने के नाते हक है । अत: खातेदारी केवल

अपीलांट को ही मिलनी चाहिए । आगे यह भी कहा कि खातेदारी मिलती भी है तो केवल अपीलांट को ही मिल सकती है । बहस में आगे पुनः यह भी कहा कि उनके द्वारा यह बिन्दू उठाया गया है कि जयरामदास, घासीदास का पुत्र नहीं है ।

अपीलांट ने लिमिटेशन की बहस में आगे कहा कि अपीलांट ने मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । जैसे ही निर्णय की जानकारी हुई, प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. व मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । देरी को कन्डोन करने के लिए कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 11 का हवाला देते हुए कहा कि सही न्याय मिलने के लिए कितनी भी देरी को माफ किया जा सकता है । अतः पक्षकारों को सुनकर उचित न्याय होना चाहिए । कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2009 पेज 195 राजस्व मण्डल का हवाला देते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए राजस्व मण्डल में 11 वर्ष का डिले कन्डोन करने के आदेश हुए हुए प्रकरण को मैरिट पर निर्णित करने के आदेश दिये थे ।

आर.एल.डब्ल्यू. 2010 पेज 416 का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तराधिकार के प्रकरण में डिले कन्डोन में नरम रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए । आर.एल.डब्ल्यू.2008 पेज 1142 का हवाला देते हुए कहा कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, जानकारी में आते ही अपील की है । अतः डिले कन्डोन करने हेतु आधार को महत्व दिया जाना चाहिए । अतः शपथपत्र के साथ पेश मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील मंजूर की जावें तथा तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें ।

रेस्पो0/वादी के अभिभाषक ने बहस अपीलांट का जवाब देते हुए कहा कि अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 08.02.2002 के विरूद्ध की है । अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. व मियाद अधिनियम भी मैन्टेनेबिल नहीं है । इस संबंध में कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1993 पेज 44 ए. व 232 ए. का हवाला देकर कहा कि यदि अपील में गलत तथ्य है तथा अपील दर्ज हो गयी है और उसमें स्थगन भी जारी हुआ है तो भी यह नहीं माना जायेगा कि अपील की अनुमति मिल गयी है । कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 1998 पेज 23 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरण में 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने खारिज किया है । निर्णय का अवलोकन कराया और अपील के तथ्यों का भी अवलोकन कराया । अतः अपीलांट का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण ही नहीं पाया जाता है । अतः अपील अपीलांट इसी बिनाय पर खारिज की जावें ।

गुणावगुण पर बहस जवाब में रेस्पो0 के अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट और रेस्पो0 के द्वारा तहत न्यायालय और अपीलीय न्यायालय में दस्तावेज पेश किये हैं । अपीलांट तो अपने दस्तावेज से कहना चाहते हैं कि जयरामदास कभी घासीरामदास का तो कभी आशारामदास का लड़का बना है और कभी आशारामदास का उत्तराधिकारी बताते हैं । हमारा दस्तावेज पेश करके यह कहना है कि जयरामदास आशारामदास का पुत्र है तथा अपीलांट रेस्पो0 को जो गैलड़ बता रहे हैं, वह गलत है । अपीलांट द्वारा पेश बक्खशीशनामा दिनांक 26.08.1971 का हवाला देते हुए कहा है कि स्वयं रामदास उर्फ बाबूलाल का शपथपत्र, एग्रीमेन्ट दिनांक 16.12.1987 है कि अपीलांट और रेस्पो0 दोनों भाई हैं । सीलिंग से अधिक भूमि होने के कारण वकील के कहने पर यह बक्खशीशनामा लिखवाया गया है । दिनांक 26.08.1971 को बक्खशीशनामा लिखा गया है, उस समय महन्त जयरामदास नाबालिग थे ।

 4/13/4

उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि जमीन को किसके नाम किस तरह से कर रहे हैं । जानकारी मिलने पर रामदास स्वामी उर्फ बाबूलाल पुत्र आशारामदास ने दिनांक 13.01.2014 को इन्हीं नम्बरों का एक शपथपत्र इस आशय का तहरीर किया है कि महन्त जयरामदास व मैं रामदास स्वामी आशारामदास के ही पुत्र हैं तथा आशारामदास ने जो बक्खशीशनामा किया है, वह सीलिंग से अधिक जमीन होने के कारण वकील की राय से जयरामदास को घासीराम का पुत्र बना दिया ।

आगे जवाब बहस में कहा है कि इन्हीं खसरा नम्बरान का कमला देवी ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा रामदास के नाम लिखा जिसमें गवाह जयरामदास पुत्र आशारामदास लिखा है । यह वसीयत भी इन्हीं खसरा नम्बरान की है । आगे कहा कि वक्त बक्खशीशनामा दिनांक 28.06.1971 में कमला को घासीरामदास की पत्नि बताया गया है जबकि रामदास का जन्म 1964 में हुआ था और रामदास अपने आपको आशारामदास का पुत्र बताता है तो 1971 में रामदास के 1964 में जन्म के बाद उनकी मॉ मु0 कमला देवी किस प्रकार से घासीरामदास की पत्नि हुई । इससे स्पष्ट है कि बक्खशीशनामा केवल सीलिंग में भूमि जाने से बचाने के लिए लिखा गया था ।

बहस जवाब में आगे का कि रेस्पो0/वादी की ओर से ऐसे स्पष्ट दस्तावेज पेश किये गये हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि महन्त जयरामदास, आशारामदास का ही पुत्र है तथा अपीलांट के आरोप बेबुनियाद है । वोटर लिस्ट 1966 भाग सं0 165 विधानसभा क्षेत्र थानागाजी पेश किया जिसमें कमला पत्नि आशारामदास लिखा हुआ है तथ इसके साथ ही आशारामदास/लच्छीदास लिखा हुआ है । रामदास स्वामी उर्फ बाबूलाल ने एक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.9.2011 को जयरामदास पुत्र आशारामदास के पक्ष में तहरीर किया है । रेस्पो0 ने शैक्षणिक, जाति, निवास व राजस्व रेकार्ड के दस्तावेज पेश करके कहा है कि महन्त जयरामदास, आशारामदास का ही पुत्र है व उत्तराधिकारी है तथा ये दादूपंथी हैं । इनका कहना है कि दादूपंथी सम्प्रदाय में सम्पति चेला को प्राप्त होती है, पुत्रों को नहीं मिलती और नहीं ही पुत्रियों को मिलती है । जयरामदास पुत्र आशारामदास दादूपंथी गद्दी घाटड़ा का महन्त गद्दी का उत्तराधिकारी था अर्थात चेला के रूप में यह सम्पति विरासतन मिली है । धारा 372 के आधार पर महन्त जयरामदास को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है । इसलिए रेस्पो0/वादी ने विभिन्न मुकदमों में अपने आपको घासीरामदास का पुत्र व चेला बनाया है । इस आशय की साक्ष्य भी करायी है । अपीलांट अभिभाषक का यह कथन है कि जयरामदास, घासीरामदास का पुत्र नहीं है, गलत तथा खिलाफ सबूत है ।

विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार एवं इन्द्राज दुरूस्ती के संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक का जवाब में कथन है कि विवादित आराजी सम्वत् 2012 से पूर्व से ही जमीदारी विस्वेदारी की आराजी थी तथा घासीरामदास की खुदकाश्त की जमीन थी । यह जमीन घाटड़ा तहसील राजगढ़ में स्थित है । बन्दोबस्त विभाग ने यह जमीन सम्वत् 2020 में गैर मुमकिन पहाड़ गलत रूप से दर्ज कर दी है । बन्दोबस्त विभाग को यह कतई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह किसी की खुदकाश्त खातेदारी की जमीन को गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर दें । वादी/रेस्पो0 ने यही दुरूस्ती का दावा चाहा है, अलग से कोई खातेदारी नहीं चाही है । आगे कहा कि यह जमीन आर.टी.एक्ट की धारा 16 की नहीं है । यह तो बन्दोबस्त ने खातेदारी से खिलाफ कानून व मौका गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर दी है ।

4/1314

कानूनन धारा 16 की प्रतिबंधित जमीन पर खातेदारी नहीं मिल सकती है, परन्तु यह जमीन धारा 16 की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि बन्दोबस्त विभाग की गलती से राजस्व रेकार्ड में गलत किस्म व इन्द्राज कर दिये जिन्हें दुरूस्त कराने हेतु यह वाद पेश किया है । कानूनी नजीर 2016–17 आर.आर.टी. पेज 74 का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशों से ही संशोधन कर सकते हैं । यहां बिना न्यायालय के आदेश से खुदकाश्त की जमीन को गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज करवा दिया है ।

इस संबंध में रेस्पो0/वादी के अभिभाषक का जवाब कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने रेकार्ड, साक्ष्य व मौके के आधार पर बन्दोबस्त के गलत इन्द्राजों को दुरूस्त कराने का दावा पेश किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सभी साबिक व हाल रेकार्ड का अवलोकन करके सही निर्णय पारित किया है ।

आगे कहा कि अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि आशारामदास दादूपंथी था। महन्त गद्दी चेला के रूप में विरासतन प्राप्त होती है और रेस्पो0/वादी आशारामदास का महन्त गद्दी का उत्तराधिकारी था । इन्द्राज दुरूस्ती सरकार को पक्षकार बनाकर की गयी थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही मान दावा वादी डिक्री किया है । इस बिनाय पर भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व मियाद अधिनियम सहित अपील खिलाफ कानून है और काबिल खारिजी के है ।

बहस जवाब में आगे कानूनी बिन्दु ये भी कहा कि अपीलांट का अपील का इसलिए कोई अधिकार नहीं है कि उनका इस आराजी से कोई संबंध नहीं है और वादी ने केवल बन्दोबस्त के गलत इन्द्रजों को दुरूस्त कराने का दावा पेश किया है जो कि सरकार से रिलीफ है । इसमें कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करायी गयी है । यदि अपील का अधार है तो वह केवल सरकार को ही अधिकार है । वादी यदि विरासतन कोई अधिकार चाहता है तो उसे कानूनी रूप से अलग से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए । इन्द्राज दुरूस्ती के अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को अपीलांट चुनौती व निरस्त कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट की धारा 372 के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उठायी आपत्ति पर कहा कि उनकी कानूनी नजीर इस पर चस्पा नहीं होती है । रेस्पो0/वादी तो सिविल न्यायालय में अति0 जिला न्यायाधीश राजगढ़ में इस आशय के साथ गया था कि दादूपंथी परम्परानुसार घाटड़ा महन्त की गद्दी का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जावें । इसमें कहीं भी खातेदारी अधिकार नहीं मांगे गये हैं । अति0 जिला न्यायाधीश राजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 8.10.2013 से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अनुसार सबूत व साक्ष्य के आधार पर महन्त गद्दी का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया है । घाटड़ा गद्दी की आराजी दादूपंथी विचारधारा से उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है न कि विरासतन प्राप्त होती है । अतः अपीलांट की अपील का अधार ही नियम विरूद्ध है । इस बिनाय पर लिमिटेशन के संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक ने निम्न कानूनी नजीरें पेश की हैं –

आर.आर.डी. 1998 पेज 639, आर.आर.डी. 1999 पेज 152, ए.आई.आर. 1998 पेज 2276, आर.आर.डी. 2000 पेज 201, ए.आई.आर. 2010 पेज 3043, आर.एल.आर. 2012 II पेज 288, आर.आर.डी. 2012 पेज 216, आर.बी.जे. 2007 पेज 438, ए.आई.आर. 2013 पेज 3043,

आर.बी.जे. 2014 पेज 623, डी.एन.जे. 2014 राज0 पेज 405, डी.एन.ज़े. 2015 पेज 105 व आर.आर.टी. 2017 I पेज 117 पेश की ।

धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में उक्त कानूनी नजीरें पेश करके कहा कि इस प्रकरण की अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी । अतः क्लीन हेण्ड से अपील नहीं की है तथा न कोई कारण सही बताये हैं । अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील काबिल खारिजी के है ।

अपीलांट ने जवाब बहस के जवाब में पुनः कहा कि रेस्पो0 ने अति0 जिला न्यायाधीश राजगढ़ के निर्णय की व्याख्या अपने अनुसार गलत की है । यदि ये उत्तराधिकारी की हैसियत से है तो इन्होंने अपनी सम्पति को क्यू हड़पा ? कानून की नजीर 2010 आर.एल. डब्ल्यू. पेज 410 के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने से कोई भी सम्पति का अधिकारी नहीं होता है । यदि सम्पति आशाराम की है तो मैं भी आशाराम का वारिस अर्थात पुत्र हूं । मुझे भी सम्पति में हिस्सा प्राप्त होना चाहिए । दिनांक 16.12.1987 के एग्रीमेन्ट को फर्जी बताया है । रजिस्टर्ड वसीयत और कमला स्वामी के बयानों से उसने आशारामदास से घरवासा किया है और उससे रामदास उत्पन्न हुआ है । बहिनों ने भी यहीं माना है । फर्जी दस्तावेजों से कोई अधिकार नहीं बनते हैं । जयरामदास घासीराम व आशाराम को एक ही बताते हैं । ये सब गलत है । अतः रेस्पो0 अभिभाषक की बहस को गलत बताया है । कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2008 II पेज 1142 को इंगित करते हुए कहा कि विलम्ब की माफी के लिए यह देखना चाहिए कि विलम्ब माफी के आधार क्या हैं । महत्वपूर्ण कारण क्या हैं ? मैं तहत न्यायालय में पक्षकार ही नहीं था तो मैं क्या करता, मुझे तो अपील ही करनी है । रेस्पो0 नें चालाकी से रेकार्ड में अपने आपको घासीरामदास का पुत्र बनाया है । अतः अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

पुनः जवाब में रेस्पो0/वादी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट ने मुझे घासीराम का पुत्र मानकर बयनामा किया है तो क्या वह बयनामा गलत है ? सम्वत् 2059–62 की जमाबन्दी का हवाला देते हुए कहा कि यह इन्द्राज दुरुस्ती का प्रकरण है । खातेदारी का आधार केवल सम्वत् 2013 के रेकार्ड को बनाया है । अपीलांट यदि भाई के नाते अधिकार चाहता है तो इन्हें 1/2 हिस्से की खातेदारी की अपील करनी चाहिए न कि तहत न्यायालय के बन्दोबस्त के इन्द्राजों को दुरुस्त करने के निर्णय को खारिज करने की ?

उभयपक्षों ने एक अन्य वाद उनवानी रामदास उर्फ बाबूलाल बनाम जयरामदास में भी निर्णय दि0 8.2.2002 की अपील की तथा यही बहस मानने का निवेदन किया और कहा कि खसरा नम्बरान अलग है परन्तु बहस का ग्राउण्ड समान है । अतः इस बहस को भी उक्त प्रकरण की बहस मानी जावें ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वादी के वाद के तथ्यों तथा इस्तदुआ का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया ।

अपीलांट की अपील के तथ्यों तथा उभयपक्षों की कानूनी बहस व कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

अपीलांट ने अपनी अपील में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को इंगित किया है –

1. वादी/रेस्पो0 जयरामदास, आशारामदास का पुत्र नहीं होकर घासीरामदास का पुत्र था तथा मु0 कमला के साथ आया था ।

2. अपीलांट ही आशारामदास का एक मात्र पुत्र है तथा आशारामदास की समस्त सम्पति पर उसका ही एक मात्र अधिकार है ।

3. वर्तमान रेकार्ड में विवादित आराजी गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है तथा न्यायालय द्वारा इस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं ।

4. यदि उक्त आराजी आशारामदास की खातेदारी की आराजी है तो अपीलांट ही एकमात्र पुत्र होने के नाते खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

अपीलांट की अपील व अपील के तथ्यों तथा अपीलांट की बहस एवं पेश दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में तथा तहत न्यायालय द्वारा साबिक व हाल रेकार्ड, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों तथा साक्ष्य के माध्यम से दिये गये अपने निर्णय दिनांक 08.02.2002 के सन्दर्भ में उक्त बिन्दुओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है –

1. अपीलांट ने वादी/रेस्पो0 महन्त जयरामदास को घासीरामदास तथा मु0 कमला का पुत्र बताते हुए कहा है कि अपीलांट एकमात्र आशाराम का पुत्र है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा विभिन्न निर्णयों, शेक्षणिक दस्तावेज, जन्मतिथि, मूलनिवास, निर्वाचन नामावली, रजिस्टर्ड बयनामा व राजस्व रेकार्ड से यही सिद्ध करता है कि महन्त जयरामदास, घासीदास का लड़का न होकर आशारामदास का ही लड़का है । अपीलांट ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि जयरामदास, घासीरामदास का लड़का है । जहां तक बक्खीशनामा दिनांक 26.08.1971 का प्रश्न है । इस संबंध में बहस में जवाब और जवाबुल पेश किये गये तथा अपीलांट के एग्रीमेन्ट के अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 दोनों ही आशारामदास के पुत्र हैं । बक्खशीशनामा को स्वयं अपीलांट ने सीलिंग से अधिक भूमि होने के कारण लिखना भी माना है, पर पुराने व हाल दस्तावेजों से जयरामदास आशारामदास के ही पुत्र साबित होते हैं ।

2. विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है । अपीलांट का अपील व बहस में यह कथन है कि यह आराजी धारा 16 आर.टी.एक्ट से प्रतिबंधित है । अतः इस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं साबिक रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 के आधार पर यह माना है कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 46 का साबिक ख0 नं0 871 था तथा वह सम्वत् 2013–16 में जमींदारी बिस्वेदारी में था एवं आशारामदास की खुदकाश्त में था तथा उक्त आराजी की किस्म बंजड़ कदीम थी न कि गैर मुमकिन पहाड़ । सम्वत् 2009 की खसरा टीप के अनुसार साबिक ख0 नं0 871 में काश्त थी । ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त ने सम्वत् 2020 से 2046 के बीच इस रेकार्ड को गैर मुमकिन पहाड़ किस्म के रूप में दर्ज कर दिया तथा सिवायचक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया । हाल खसरा परिवर्तनशील के अनुसार कब्ज़ा वादी/रेस्पो0 का है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर सम्वत् 2013–16 की खुदकाश्तकी जमीन के आधार पर खातेदारी दी है जिसे बन्दोबस्त ने गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर दिया है । अतः रेकार्ड से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि यह आराजी प्रारम्भ से गैर मुमकिन पहाड़ रही है । बन्दोबस्त के गलत इन्द्राजों को दुरूस्त करने संबंधी आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिये जाते हैं ।

 4/13/4

3. जहां तक अपीलांट के एकमात्र आशाराम के पुत्र होने का प्रश्न है । पत्रावली में ऐसे दस्तावेज है तथा रेकार्ड भी पेश है जिनसे यह साबित होता है कि अपीलांट के साथ–साथ रेस्पो0 भी आशारामदास का पुत्र है ।

4. जहां तक खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का संबंध है । अपीलांट एकमात्र आशाराम का पुत्र नहीं है तथा वादी/रेस्पो0 भी आशाराम का पुत्र है । विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार वादी/रेस्पो0 को किस आधार पर प्राप्त हुए हैं । यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.02.2002 से स्पष्ट किया है । निर्णय से पूर्व यह आराजी आशारामदास की खातेदारी में न होकर बन्दोबस्त द्वारा सिवायचक किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर दी है । वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं । जैसाकि बहस में भी वादी/रेस्पो0 के अभिभाषक का कथन है कि घाटड़ा गद्दी दादूपंथी की गद्दी है तथा यहां पर विरासतन अधिकार प्राप्त न होकर उत्तराधिकारी ही हैसियत से अधिकार प्राप्त हुए हैं ।

चूंकि अपील में अपीलांट का कथन है कि प्रतिबंधित भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट किया जा चुका है । जहां तक अपीलांट के पुत्र होने या विरासतन अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न है, अपीलांट उसके लिए वादी/रेस्पो0 से अलग से चाराजोही प्राप्त कर सकता है ।

जहां तक कानूनी बिन्दु कि क्या अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार है ? क्या इन्द्राज दुरूस्ती के निर्णय से अपीलांट व्यथित है ? क्या अपीलांट धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र सहित मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार की ज़ा सकती है ।

इस संबंध में न्यायालय का मत है कि वादी/रेस्पो0 ने सम्वत् 2013–16 के इन्द्राजों को बन्दोबस्त द्वारा बदल दिये जाने पर आशाराम स्वामी के उत्तराधिकारी की हैसियत से दुरूस्ती करवाने बाबत जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में सरकार के विरूद्ध पेश किया है, उससे अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । इस संबंध में अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं है । यदि अपील का आधार है तो वह केवल सरकार को ही था । यदि अपीलांट अपने विरासतन अधिकार मानता है तो उन्हें इसके लिए अलग से अपना वाद पेश करना चाहिए था । इन्द्राज दुरूस्ती से अपीलांट कहीं भी व्यथित पक्षकार नहीं पाया जाता है । यदि अपीलांट व्यथित पक्षकार था तो उनके द्वारा क्यों नहीं इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही की गयी थी । जब वादी/रेस्पो0 ने सिविल न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती की तक ये अपील में आये हैं । अतः न्यायालय का कानूनी मत है कि इस इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश से अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं है । जब अपीलांट व्यथित पक्षकार ही नहीं है तो न तो 96 सी.पी.सी. और न ही मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को कोई रीलिफ प्राप्त कर सकता है ।

जहां तक तहत न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है उसके अनुसार सम्वत् 2013–16 में विवादित आराजी के साबिक आराजी ख0 नं0 871 की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ न होकर बंजड़ कदीम थी तथा आशारामदास की खुदकाश्त की जमीन थी । इन्द्राजों को दुरूस्त करके खातेदारी प्रदान करने की व्याख्या अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत

रूप से की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं पायी जाती है ।

अतः उपरोक्त कानूनी विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2002 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.4.18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर